कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री कृपा राम, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भागसर–सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर जन्मतिथि 01.05.1961 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक– 01.05.2020 से 30.05.2020 (30 दिवस) हैलीफैक्स–कनाडा जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :–
   (i)कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii)कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (iii)कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (iV)कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/ए–2–7/विदेश यात्रा/2019 दिनांक– 16-1-2020

प्रतिलिपि:–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3– जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) श्रीगंगानगर।
4– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सादुलशहर (श्रीगंगानगर)।
5– प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भागसर–सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर ।
7– सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8– निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्री बलजीत सिंह , प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 35 बीबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर जन्मतिथि 14.04.1960 को निजी विदेश यात्रा हेतु दिनांक– 02.02.2020 से 28.02.2020 के मध्य **Middex, London, U.K.** जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :–
   (i)कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii)कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (iii)कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (IV)कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

यह स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/ए–2–7/विदेश यात्रा/2019 दिनांक– 16-1-2020

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2– संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
3– जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) श्रीगंगानगर।
4– मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पदमपुर (श्रीगंगानगर)
5– प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 35 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
6– श्री बलजीत सिंह , प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 35 बीबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
7– सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8– निजी/रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर